न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00059

1. शंकर सिंह आत्मज भावसिंह जाति बंजारा ।
2. मंजू पुत्री भावसिंह बंजारा ।
3. जानी बाई पत्नी भावसिंह जाति बंजारा निवासीगण देवजी का खेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

नेमी चन्द आत्मज लालूदास जाति बैरागी निवासी ग्राम बाडी तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डाबी तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 1591/692 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज है जिसका वादी ही एकमात्र खातेदार है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी ने स्वयं ने उक्त भूमि को कई वर्षों पूर्व समतल कर काबिल काश्त बनाया । उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी को अनाधिकृत रूप से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें और वादी

को बेदखल नहीं करे । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा कर ले जो उसे वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 04.06.2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 05.05.2016 को आगामी पेशी दिनांक 13.06.2016 नियत की गई थी । उक्त पेशी से पूर्व ही निर्णय पारित कर वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा के बाद तनकीयात कायम करने हेतु पेशी दिनांक 13.06.2016 नियत की थी लेकिन उसके पूर्व ही दिनांक 04.06.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद डिक्री कर दिया । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.09.2016 को हुई और उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर दिनांक 07.09.2016 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद तनकीयात हेतु दिनांक 13.06.2016 की तारीख नियत की गई परन्तु अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 04.06.2016 को निर्णय पारित किया । वादी का दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषनीय नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने धारा 188 के साथ धारा 183 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम की भी सहायता प्रदान की है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में

विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. पत्रावली दिनांक 10.03.2016 की आदेशिका के अनुसार कायमी तनकीयात में लम्बित थी और दिनांक 05.05.2016 को 13.06.2016 की तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 04.06.2016 को वादी की उपस्थिति में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में लोक अदालत में दावा डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए सीपीसी की पालना किये बिना अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा